भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2298

(दिनांक 23.09.2020 को उत्तर देने के लिए)

निजी टेलीविजन चैनलों के लिए विज्ञापनों की दरें

2298. श्री मोहनभाई कुंडारियाः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार निजी टेलीविजन चैनलों के लिए विज्ञापन की दरों में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और विधि क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रीमंडलीय समिति (सीसीईए) ने प्रसार भारती में 'प्रसारण, बुनियादी अवसंरचना तथा नेटवर्क विकास' के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन; सूचना और प्रसारण तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री

(श्री प्रकाश जावडेकर)

(क) से (ग): सरकार ने जनवरी, 2019 मे निजी टीवी चैनलों के जरिए लोक संपर्क और संचार ब्यूरो (बीओसी) द्वारा प्रांरभ किए जानेवाले जागरूकता अभियानों के लिए दरों में इस उद्देश्य के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय में गठित की गई समीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर संशोधन किया है। संशोधित दरें 3 वर्षों के लिए वैध हैं।

(घ) एवं (ङ): प्रसार भारती के बुनियादी ढांचे और नेटवर्क का आधुनिकीकरण और सुदृढीकरण "प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास (बीआईएनडी)" स्कीम के तहत एक सतत प्रक्रिया है। आर्थिक कार्य मंत्रिमण्डल समिति (सीसीईए) ने इस अवधि के लिए 1054.53 करोड़ रु. के प्रावधान के साथ वर्ष 2017-20 की अवधि के लिए इस स्कीम के विस्तार को अनुमोदित किया है।

****